लेखा·योग

143. इन्कम टैक्स के नुस्खे और पेंच

अक्टूबर-नवम्बर 2008; जुलाई 2009 में जारी

इस अंक में

व्यवसाय के लिए अलग खाते • धारा ४४ एबी के तहत ऑडिट पृष्ठ 1

आय की गणना • निधि हेतु दान पृष्ठ 2

व्यवसाय-जैसी प्राप्तियां • संचित निधि से अनुदान • मुख्य व्यक्तियों को भुगतान पृष्ठ 3

Accountaid™
Accounting for Aid. Aid in Accounting

कुछ साल पहले तक भारतीय कराधान प्रक्रिया की तुलना 'ग्रेट इंडियन रोप ट्रिक' से की जाती थी। कर अधिकारी कर वसूल करते थे, रस्सी पर चढ़ते थे और पैसा लेकर गायब हो जाते थे। परंतु कंप्यूटर और इंटरनेट के आ जाने से कर विभाग के लिए भी जनता की पैनी नज़रों से बचना मुश्किल हो गया है।

मगर कंप्यूटरीकरण ने करदाता को भी मुश्किल में डाल दिया है। अब सारे टैक्स रिटर्न कूटबद्ध होते हैं और डेटाबेस में उनकी क्रॉस-चेकिंग भी होती है जिसके कारण कई ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है।

आमतौर पर आपका केस जांच के लिए नहीं चुना जाता है इसलिए आप इस खुशफहमी में रह सकते हैं कि आपके टैक्स रिटर्न में कोई चूक नहीं थी।

लेकिन अगर आपकी पावतियां करोड़ों में हो तो आपके रिटर्न की जांच हो सकती है। क्या आप ऐसी जांच के लिए तैयार हैं? आइये देखते हैं....

व्यवसाय के लिए अलग खाते

अगर आप परंपरागत उद्देश्यों (शिक्षा, चिकित्सा राहत, गरीबों की सहायता) से एनजीओ चला रहे हैं तो आपको व्यावसायिक गतिविधियां चलाने की छूट है। परंतु इसके लिए आपको दो शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी[1]: पहली, ये गतिविधियां संगठन के मुख्य उद्देश्यों से संबंधित[2] होनी चाहिए। अर्थात व्यवसाय चलाना ही अपने आप में मकसद नहीं होना चाहिए। यह आपकी संस्था के मुख्य परोपकारी उद्देश्य से गौण या उससे संबंधित होना चाहिए।

दूसरी बात, आपको व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अलग बही खाते रखने चाहिए। व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित सारे लेन-देन के लिए अलग कैश बुक और लैजर होना ज़रूरी है। साल के अंत में आपको व्यवसाय का लाभ-हानि खाता तैयार करना होगा। इस खाते का विवरण इनकम टैक्स रिटर्न के साथ नत्थी किया जाना चाहिए। यदि आप ऐसा न करें तो? ऐसे में आयकर विभाग या तो खुद आपकी व्यावसायिक आय की गणना करेगा या आपको उस साल के लिए धारा ११ के तहत कर रियायत नहीं देगा।

धारा ४४ एबी के तहत ऑडिट

यदि एनजीओ की सालाना व्यावसायिक आय (वस्तुओं की बिक्री से आय) ४० लाख रुपए से ज़्यादा हो तो उसे धारा ४४ एबी के तहत अपने खातों का ऑडिट करवाना चाहिए। यदि आमदनी किसी तरह की कंसल्टेंसी, प्रशिक्षण आदि की फीस के रूप में आ रही हो तो उसकी सीमा ४० लाख की बजाय १० लाख रखी गई है।

फॉर्म ३सीबी में ऑडिट रिपोर्ट के साथ फॉर्म ३सीडी में विवरणी ३० सितंबर तक जमा करायी जानी चाहिए। रिटर्न जमा करने के लिए यह सामान्य समय सीमा होती है। यदि किसी वजह से आपके रिटर्न में देर हो रही है तो भी आपको इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि ऑडिटर से यह ऑडिट रिपोर्ट ३० सितंबर तक प्राप्त हो जाए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको अपने व्यावसायिक टर्नओवर का ०.५ प्रतिशत जुर्माने के रूप में जमा कराना पड़ सकता है।

---

[1] धारा ११(४ए)

[2] 'कोई ऐसी चीज़ जो दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ के तहत आती हो; कोई ऐसी चीज़ जिसकी भूमिका सीमित हो।' (ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, ७वाँ प्रकाशन, १९९९)

www.AccountAid.net

आय की गणना

आपकी गणना में परियोजना अनुदान के साथ-साथ सामान्य दान भी शामिल होना चाहिए।

कई बार लोग परियोजना अनुदानों को एक तरह की देनदारी मानते है और उसे आय एवं व्यय में नहीं दिखाते। लेखांकन की दृष्टि से यह गलत है।[3] आयकर की दृष्टि से भी ऐसा करना गलत है।[4]

इससे दो और भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं :

१. इससे भावी इस्तेमाल के लिए उपलब्ध राशि कम हो जाती है। इस राशि को कुल प्राप्तियों का 15 प्रतिशत माना जाता है। अगर आप अनुदानों को पावतियों के रूप में शामिल नहीं करेंगे तो फिर यह राशि भी कम हो जाएगी:

	विकल्प क	विकल्प ख
सामान्य दान	५,००,०००	५,००,०००
अनुदान		१,००,००,०००
कुल	५,००,०००	१,०५,००,०००
85 प्रतिशत व्यय बाध्यता	४,२५,०००	८९,२५,०००
दीर्घकालिक संचय के लिए उपलब्ध राशि (15 प्रतिशत)	७५,०००	१५,७५,०००

२. ऐसी सूरत में आपकी गणनाएं भी गलत हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, आप ये मान सकते है कि आपने नियमानुसार ८५ प्रतिशत राशि खर्च कर दी है। (विकल्प क)। लेकिन अगर आयकर विभाग आपकी आय की दोबारा गणना करें तो पता चलेगा कि आपने ज़रूरत से कम खर्च किया है (विकल्प ख):

	विकल्प क	विकल्प ख
सामान्य दान	५,००,०००	५,००,०००
अनुदान		१,००,००,०००
कुल	५,००,०००	१,०५,००,०००
खर्चा	४,५०,०००	७९,५०,०००
85 प्रतिशत व्यय बाध्यता	४,२५,०००	८९,२५,०००
व्यय में कमी	-	९,७५,०००

अब आप अपनी स्थिति की कल्पना करें। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न के साथ 'कैरी-फॉरवर्ड रिक्वेस्ट'[5] डाल देते तो कर चुकाने से बच सकते थे। लेकिन आप तो 'विकल्प क' के अनुसार चल रहे थे इसलिए आपने ऐसा नहीं किया। अब आप केवल कर विभाग की दया पर हैं।

निधि हेतु दान

अगर कोई दाता आपकी निधि कोष (कॉरपस)[6] में पैसा देता है तो आपको उससे यह बात लिखकर ले लेनी चाहिए। इससे आपको यह हिस्सा अपनी आय से बाहर रखने में मदद मिलेगी। इसके बाद आप इसे सीधे अपने निधि कोष में पहुंचा सकते हैं।

कुछ दाता एजेंसियां एक ऐन्डोमेंट कोष के लिए भी आपको पैसा दे सकती हैं। यह कोष भी निधि कोष की ही तरह होता है क्योंकि दोनों में मूल राशि खर्च नहीं की जानी चाहिए। इसका मतलब है कि ऐन्डोमेंट निवेशों से जो आय

---

[3] इस बारे में ज़्यादा जानने के लिए, www.AccountAid.net पर लेखायोग ८६: 'परियोजना अनुदान का लेखा-जोखा' देखें। इसमें आईसीएआई की सिफारिशों पर भी चर्चा की गई है।

[4] आयकर अधिनियम की धारा २(२४) के अनुसार किसी एनजीओ द्वारा प्राप्त किया जाने वाला 'स्वैच्छिक अंशदान' भी आय के अंतर्गत आता हैं। इसकी वजह से कुछ लोग ये मान बैठते हैं कि ये कानून केवल दान पर ही लागू होता है - अनुदान पर नहीं ।
इस तरह की व्याख्या एक ऐसी विकृति को जन्म देगी जिसमें सभी परियोजना अनुदान कर के दायरे से पूरी तरह बाहर चले जाएंगे क्योंकि सभी अनुदान खास उद्देश्यों के लिए दिये जाते हैं। यदि ऐसा हो तो उन्हें आप जैसे चाहे खर्च कर सकेंगे और मुख्य व्यक्तियों को भी भारी-भरकम भुगतान दे सकेंगे।
यह व्याख्या इस बात को भी नज़र अंदाज करती है कि निधि के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित अंशदान ही आय की परिभाषा से बाहर होते हैं।

[5] यदि अनुदान दीर्घकालिक परियोजना के लिए है तो आप संचय के लिए फॉर्म १० भी जमा कर सकते हैं।

[6] इस बारे में और जानकारी के लिए AccountAble 8: Corpus and Endowments तथा AccountAble 67: Corpus देखें। ये दोनों अंक www.AccountAid.net. पर उपलब्ध हैं।

अगर कोई दाता आपकी निधि कोष (कॉरपस) में पैसा देता है तो आपको उससे यह बात लिखकर ले लेनी चाहिए। इससे आपको यह हिस्सा अपनी आय से बाहर रखने में मदद मिलेगी। इसके बाद आप इसे सीधे अपने निधि कोष में पहुंचा सकते हैं।

आ रही है, केवल उसी को आप अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको एजेंसी से 'ऐन्डोमेंट'[7] शब्द के साथ 'निधि' शब्द का प्रयोग करने का आग्रह करना चाहिए। ऐसा करने से आपको कर विभाग के साथ इस बारे में बहसबाजी नहीं करनी पड़ेगी।

व्यवसाय-जैसी प्राप्तियां

पिछले साल धारा २(१५) में संशोधन किया गया था और इसे १ अप्रैल २००८ से लागू किया गया है। इस संशोधन के अनुसार आधुनिक गैर-सरकारी संगठनों[8] से यह आशा की जाती कि वे व्यवसाय-जैसी गतिविधियों से आय अर्जित न करें। सूक्ष्म ऋण, वित्त से मिलने वाला ब्याज, प्रशिक्षण फीस, कंसल्टेंसी, हाथ से बनी चीज़ों की बिक्री आदि व्यावसायिक आय में शामिल हो सकते हैं।

व्यावसायिक या व्यापारिक संगठनों को एनजीओ के रूप में फर्जी पहचान अपनाने से रोकने के लिए यह संशोधन किया गया था। मगर इस नियम की वजह से बहुत सारे छोटे एनजीओ भी संकट में फंस गये हैं। ये ऐसे एनजीओ थे जो अपने ओवरहैड खर्चों का इंतज़ाम करने या संकट की घड़ी के लिए कुछ आरक्षित कोष जुटाने के लिए थोड़ी-बहुत आमदनी का प्रयास कर रहे थे।

अगर आप भी इसी तरह का गैर-सरकारी संगठन चला रहें हैं तो या आप ऐसी सारी गतिविधियां बंद कर दें या फिर इन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अलग से एक पब्लिक ट्रस्ट बना दें। इस ट्रस्ट को १२ ए के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। यदि भविष्य में थोड़ा-बहुत मुनाफा होता है तो ट्रस्ट उस पर टैक्स दे सकता है। या फिर ट्रस्ट अपने मुनाफे को किसी ऐसे एनजीओ को दान कर सकता है जिसे ३५एसी के तहत मंजूरी मिली हुई है।

यदि ट्रस्ट नियमित रूप से मुनाफे में चल रहा है तो आप अपने एनजीओ के लिए भी ३५एसी के तहत मंजूरी ले सकते हैं। ऐसी सूरत में ट्रस्ट अपना मुनाफा आपके एनजीओ को दान कर देगा और उसे कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा।

संचित निधि से अनुदान

२००२ में, संचय की गई निधि से अन्य को अनुदान देने पर एक पाबंदी लगाई गई थी।[9] यह पाबंदी वित्त वर्ष २००२-२००३ से लागू हुई है।

इसके अनुसार, अगर आपने फॉर्म १० के ज़रिए कोई निधि संचित की है तो आपको उसे खुद ही प्रत्यक्ष रूप से खर्च करना होगा। अगर आप वह निधि दूसरे स्वैच्छिक संगठन को सौंप देते हैं तो ऐसे भुगतान को मान्यता नहीं मिलेगी। हां, अगर आप दूसरे व्यावसायिक संगठनों या कंसल्टेंट्स आदि को भुगतान करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।

मुख्य व्यक्तियों को भुगतान

मुख्य व्यक्तियों[10] को होने वाले सारे भुगतानों की सूचना फॉर्म १० बी में दी जानी चाहिए। मुख्य व्यक्तियों को परियोजना निधि से तथा एनजीओ की अपनी आय से वेतन, शुल्क आदि के रूप में होने वाला भुगतान इस फॉर्म में उल्लेखित होना चाहिए। विभाग इन भुगतानों की उपयुक्तता की जांच करता है।

यह बात भी जहन में रखें कि मुख्य व्यक्तियों की परिभाषा काफी व्यापक है।[11] इसमें ऐसे सभी व्यक्ति आते हैं जो एनजीओ के फैसलों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

---

[7] उदाहरण के लिए, 'क.ख.ग. ऐन्डोमेंट (निधि)।'

[8] इस बारे में और विवरण के लिए लेखायोग १४१: 'धर्मार्थ प्रयोजन एवं आयकर' देखें जो www.AccountAid.net. पर उपलब्ध है।

[9] इस बारे में और जानकारी के लिए लेखायोग ९१: 'धारा ११ के अंतर्गत आयकर से छूट' देखें जो www.AccountAid.net. पर उपलब्ध है।

[10] धारा १३(३)

[11] इस बारे में जानकारी के लिए AccountAble 52: Key Person Transactions & Income Tax देखें जो www.AccountAid.net. पर उपलब्ध है।

accountable-subscribe@topica.com

लेखा·योग

143. इन्कम टैक्स के नुस्खे और पेंच अक्टूबर-नवम्बर 2008; जुलाई 2009 में जारी

Accountaid™
Accounting for Aid. Aid in Accounting

LEKHA YOGI

लेखा योग क्या है:

'लेखा-योग' के प्रत्येक अंक में एनजीओ नियमन या लेखांकन से संबंधित किसी खास मुद्दे को उठाया जाता है और इसे 1,500 गैर-सरकारी संगठनों, एजेंसियों और ऑडिट कंपनियों को भेजा जाता है। अगर कार्यशालाओं या एनजीओ न्यूज़लैटर्स में गैर-व्यावसायिक कामों के लिए 'लेखा-योग' का पुनर्प्रकाशन या वितरण किया जाता है तो अकाउंटएड को कोई एतराज नहीं है बशर्ते आप इस बात का उल्लेख कर दें कि आपने यह सामग्री 'लेखा-योग' से ली है।

अंगेजी में लेखा-योग:

लेखा-योग अंग्रेजी में 'अकाउंटेबल' के नाम से उपलब्ध है।

कानून की व्याख्या:

यहां कानून की जो व्याख्या दी गई है वह काफी सामान्य स्तर पर है। कोई भी अहम फैसला लेने से पहले अपने सलाहकारों से बात ज़रूर करें।

इंटरनेट पर लेखा-योग:

'लेखा-योग' के कुछ चुने हुए अंक हमारी वेबसाइट - **www.AccountAid.net.** पर उपलब्ध हैं। लेखायोग के नए अंकों की अपलोडिंग के बारे में ई-मेल से जानकारी हासिल करने के लिए **lekhayog-subscribe@topica.com.** पर एक ई-मेल भेजें। इसके बाद पुष्टि के लिए टॉपिका आपको एक मेल भेजेंगी। अपनी सदस्यता चालू करवाने के लिए इस मेल का उत्तर अवश्य दें।

अकाउंटएड कैप्सूल:

इसमें एनजीओ लेखांकन और इससे जुड़े मुद्दों से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। इसकी सदस्यता लेने के लिए **accountaid-subscribe@topica.com**. पर ई-मेल भेजें। इसके बाद पुष्टि के लिए टॉपिका आपको एक मेल भेजेंगी। अपनी सदस्यता चालू करवाने के लिए इस मेल का उत्तर अवश्य दें।

इंटरनेट पर आपके खाते:

आपके खातों का सार-संकलन करके उन्हें इंटरनेट पर प्रकाशित किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें आप अपनी सालाना रिपोर्ट में भी शामिल कर सकते हैं। इस के उदाहरण **www.AccountAid.net**. पर देखें। और ज़्यादा जानकारी के लिए **accountaid@gmail.com** पर हमें लिखें।

सवाल और स्पष्टीकरण?

अकाउंटएड एनजीओ लेखांकन या वित्तीय नियमन से जुड़े सवालों पर गैर-सरक. ारी संगठनों और उनके ऑडिटर्स को सलाह देता है। आप भी अपने सवाल ई-मेल या खत के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो फोन पर भी हमसे बात कर सकते हैं।

टिप्पणियां:

आप अपनी टिप्पणियां और सुझाव अकाउंटएड इंडिया, 55 बी, पॉकेट सी, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110014 पर भेज सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-26343128; फोन/फैक्स : 011-26343852;
ई-मेल: **accountaid@gmail.com**

© अकाउंटएड इंडिया विक्रम संवत २०६६ श्रावण, ईस्वी सन् जुलई 2009.

कु संचिता चक्रबर्ती द्वारा अकाउंटएड इंडिया, नई दिल्ली, फोन 26343128 के लिए मुद्रित एवं प्रकाशित तथा प्रिंटवर्क्स, नई दिल्ली, फोन 26811689, 9810653101 से मुद्रित।

लेख: श्री संजय अग्रवाल; **अनुवाद:** श्री योगेन्द्र दत्त
अनुसंधान, चित्र एवं सम्पादन: कु. संचिता चक्रबर्ती

डिज़ाइन: श्रीमती मोऊशुमी डे

केवल निजी प्रसार के लिए।

accountaid@gmail.com